भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 80

09 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

गोदामों की क्षमता बढ़ाने की योजना

***80. श्री रविचंद्र वद्दीराजू:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में गोदामों की वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने और पहले देश के चुनिंदा जिलों में इसके कार्यान्वयन को प्रारंभ करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेलंगाना राज्य में इस प्रयोजनार्थ किन्हीं जिलों का चयन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और राज्यों को अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 09.02.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 80 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): जी हां।

जहां तक खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का संबंध है, दिनांक 01.01.2024 तक की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु, 341.01 लाख टन के भंडारित स्टॉक की तुलना में, केंद्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कवर्ड भंडारण क्षमता 762.36 लाख टन है।

भारतीय खाद्य निगम में भंडारण क्षमता की आवश्यकता मुख्यत: चावल और गेहूं के लिए खरीद के स्तर, बफर मानदंडों और पीडीएस प्रचालनों पर निर्भर करती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण क्षमता का निंरतर आकलन और मानीटरिंग की जाती है और निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण अंतर (स्टोरेज गैप) आकलन के आधार पर भंडारण क्षमताएं सृजित/किराए पर ली जाती हैं:-

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति (पीपीपी मोड) के तहत साइलोज़ का निर्माण।
2. पीपीपी पद्धति के तहत निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना ।
3. केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) 'भंडारण और गोदाम' - पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित।
4. केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना।
5. निजी वेयरहाउसिंग योजना (पीडब्ल्यूएस) ।
6. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के अंतर्गत गोदामों का निर्माण।

इसके अतिरिक्त, देश में खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता से संबंधित कमी को दूर करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 31.05.2023 को पायलट परियोजना के रूप में "सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" को अनुमोदित किया है। इस योजना में भारत सरकार की मौजूदा विभिन्न योजनाओं को समायोजित करके वेयरहाउसों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्रसंस्करण यूनिटों, उचित दर दुकानों आदि सहित प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस) के स्तर पर विभिन्न कृषि अवसंरचना के निर्माण पर बल दिया है। तेलंगाना राज्य में करीमनगर जिले के गंबीरावपेट पीएसीएस पायलट परियोजना का एक भाग है।
